

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ.आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रिया संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर

पीठासीन अधिकारी :- श्री संजय कुमार आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या :- 314/2024 अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट

रोहताश पुत्र रामस्वरूप जाति जाट निवासी प्रेमनगर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

- वादी

बनाम

1. विमला पत्नी रामस्वरूप जाति जाट निवासी प्रेमनगर तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2. सरोज बाला पुत्री रामस्वरूप पत्नी बलवीरसिंह जाति जाट निवासी बीगर हेड फतेहबाद तहसील भट्टू जिला फतेहबाद हरियाणा।
3. किरणबाला पत्नी सुभाष जाति जाट निवासी प्रेमनगर तहसील व जिला हनुमानगढ़।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व रावतसर जिला हनुमानगढ़।

-प्रतिवादीगण

उपस्थित:- श्री रविकुमार सुथार वकील-वादी

श्री मदनलाल वर्मा वकील प्रतिवादी सं. 1 व 3

श्री करणीसिंह वकील प्रतिवादी सं. 2

राजपेरोकार प्रतिवादी सं. 4

निर्णय दिनांक- 15/10/2024

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ संजय कुमार आर.ए.एस. उपखण्डाधिकारी रावतसर के समक्ष उपरोक्त अभिभाषकगण की उपस्थिति में घोषणा की जाती है कि आराजी जरई रोही मौजा चक 24 आरडब्ल्यूडी के खाता सं. 66/66 के प.नं. 222/423(13) के कि.नं. 4/3 की 0.210 है, 4/4 की 0.0250 है, 5/1 की 0.2020 है, 5/2 की 0.0510 है, 6/1 की 0.2280 है, 6/2 की 0.0250 है, 7 ता 9 की 0.7590 है, 10/1 की 0.2400 है, 11/1 की 0.2400 है, 12 ता 14 की 0.7590 है, 15/2 की 0.0220 है. कुल 2.7610 है. कमाण्ड/गै.मु.खाला, खाता संख्या 21/22 के प0नं0 222/423(13) के कि.नं. 1/2 की 0.0130 है, 10/2 की 0.0130 है, 11/2 की 0.0130 है. कुल 0.0390 है. कमाण्ड कृषि भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि से मृतक रामस्वरूप पुत्र रामकरण का नाम कलमजन किया जाकर उसके स्थान पर वादी को 3/4 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 2 को 1/4 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करेंगे।

आज यह पर्चा डिक्री हमारे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 15/10/2024 को जारी की गई।

(संजय कुमार)

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रावतसर